उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-12

संख्या-55 /2022/1697 (2)/23-12-2022-1860/16

दिनांकः 30 नवम्बर, 2022

शुद्धि-पत्र

अवगत कराना है कि शासनादेश अपलोड करने की वेबसाइट पर पीडीएफ में अपलोड किये गये वित्तीय वर्ष 2022-23 में वाह्य सहायतित परियोजना अन्तर्गत चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के 01 चालू कार्य पर रू0 8.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश सं0-51/2022/001-1697-23-12-2022-1860-16, दिनांक 21.11.2022 अपलोड किया गया है, जिसमें त्रुटिवश कार्यदायी संस्था का नाम विश्व बैंक खण्ड, कुशीनगर टंकित हो गया है, जो वास्तव में वाह्य सहायतित परियोजना, लो0नि0वि0 बस्ती है।

अत: उक्त शासनादेश के प्रथम पृष्ठ पर अंकित तालिका के कालम-2 में अंकित विश्व बैंक खण्ड, कुशीनगर के स्थान पर वाह्य सहायतित परियोजना, लो0नि0वि0 बस्ती पढ़ा जाये।

2. उक्त शासनादेश सं0-51/2022/001-1697-23-12-2022-1860-16, दिनांक 21.11.2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(पवन कुमार)
विशेष सचिव

सं0-55/2022/1697(3)/23-12-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषागार/कोषाधिकारी।
8- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
10- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8
13- लोक निर्माण अनु0-10
14- डाटा सेल, विकास भवन सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in